"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 371] रायपुर, शनिवार, दिनांक 26 अगस्त 2017—भाद्रपद 4, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 अगस्त 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-5/2013/1-7. — जिला बस्तर के दरभा थानान्तर्गत जीरमघाटी क्षेत्र में दिनांक 25-05-2013 को घटित नक्सली हिंसा की घटना की न्यायिक जांच के लिये इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-05-2013 द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा, उच्च न्यायालय बिलासपुर की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग गठित किया गया है. आयोग को उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर शासन को जांच रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन निर्धारित समयावधि में जांच कार्य पूर्ण न होने के कारण विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30-07-2013, 20-02-2014, 06-09-2014, 25-02-2015, 31-08-2015, 23-02-2016, 17-08-2016 तथा 06-02-2017 द्वारा आयोग के कार्यकाल में समयावृद्धि की गई है, जो दिनांक 27-08-2017 को समाप्त हो रही है.

2. चूंकि, जांच आयोग का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अत: राज्य शासन एतद्द्वारा आयोग के कार्यकाल में दिनांक 28-08-2017 से दिनांक 27-02-2018 तक 06 माह की और वृद्धि करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.